समाहरणालय,जमुई

(जन शिकायत कोषांग, जमुई)

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना सं0–01/2016–17

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु जिला एवं अनुमंडल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जमुई के कार्यालय भवन हेतु उपस्करादि की आवश्यकता है। उपस्करादि की आपूर्ति हेतु इच्छुक फर्म/एजेंसी से निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा दिनांक–30.5.16 के 3.00 बजे अपराह्न तक स्पीड पोस्ट/कुरियर/निबंधित डाक/हाथोहाथ स्वीकार किया जाएगा तथा दिनांक–30.5.16 को ही अपराह्न 4.00 P.M बजे जिला स्तरीय क्रय समिति के समक्ष खोला जायेगा।

उपस्करादि की विवरणी निम्न है :–

क्र0सं0	उपस्कर का नाम	कुल संख्या
1	2	3
1	Executive chair for hearing room (karina high back)	2
2	Chair for chamber (mid back)	2
3	Chair for hearing room (1018)	20
4	3 Seater steel beanch for waiting room (premium lounge)	20
5	Executive table Impress (Man desk)	4
6	Computer table	4
7	Almirah	10

शर्तें :–

1. निविदा के साथ अग्रिम जमा के रूप में 20,000/– (बीस हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट जिला पदाधिकारी, जमुई के नाम से संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. निविदाता का वार्षिक आय–व्यय 1 करोड़ रूपये से कम नहीं होनी चाहिए तथा इस हेतु दिनांक–31.03.2015 का अंकेक्षण प्रतिवेदन संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. निविदा के साथ सी0 एस0 टी0/भी0 एस0 टी0 प्रमाण–पत्र/पैन कार्ड की छाया प्रति अद्यतन/आयकर प्रमाण पत्र/आचरण प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. निविदादाता को अपनी संस्था के काली सूची में दर्ज नहीं रहने संबंधी शपथ–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. निविदा से संबंधित तकनीकि एव वित्तीय बीड अलग–अलग लिफाफा में दिया जायेगा।
6. तकनीकि बीड में अनुत्तीर्ण फर्म/एजेंसी का वित्तीय बीड नहीं खोला जायेगा।
7. निविदा खोलने के समय संबंधित फर्म के प्रतिनिधि का उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।
8. उपस्कर की आपूर्ति आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अंदर आपूर्ति सुनिश्चित करना होगा।
9. निविदा के साथ संलग्न सभी कागजात स्व अभिप्रमाणित होना आवश्यक होगा।
10. निविदा की प्रति जमुई जिले के बेबवाईट से भी डाउनलोड की जा सकती है।
11. क्रय समिति द्वारा एक या एक से अधिक फर्म को आपूर्ति आदेश निर्गत किया जा सकता है।
12. वित्तीय निविदा उपरोक्त प्रपत्र के अनुसार होना आवश्यक होगा।
13. बिना कोई कारण बताये निविदा को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

11/5/16

जिला पदाधिकारी
जमुई।